क्रम-संख्या—114

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 896

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 30 अप्रैल, 2001

वैशाख 10, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 992/सत्रह-वि-1—1 (क)-11-2001

लखनऊ, 30 अप्रैल, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय-संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2001 के रूप में उद्देश्य और कारण के साथ सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2001 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 3 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 4 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी; अर्थात् :—

"4—(1) बोर्ड में एक अध्यक्ष और दस सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायंगे।

बोर्ड की संरचना

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(ख) राज्य सरकार की राय में, प्रशासनिक सेवा का ऐसा उत्कृष्ट अधिकारी, जो राज्य सरकार के सचिव या शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश से निम्न पंक्ति का न हो या न रहा हो।

(3) सदस्यों में से,—

(क) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो ऐसे शिक्षाविद् हों जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो;

(ख) दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो, राज्य सरकार की राय में, राज्य शिक्षा सेवा के ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी हों या रहे हों जो अपर निदेशक से निम्न पंक्ति के न हों;

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो,—

(एक) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में या ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय में उपाचार्य के रूप में दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिये कार्य किया हो; या

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी संस्था के प्राचार्य के रूप में, दस वर्ष से अनिम्न अवधि के लिये कार्य किया हो; या

(तीन) राज्य सरकार की राय में, ऐसा विख्यात शिक्षाविद् हो, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान किया हो।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर अध्या संख्या सन्

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया गया है। वर्ष 1982 के उक्त अधिनियम में बोर्ड की संरचना के लिए एक अध्यक्ष एवं सात सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में अध्यापकों की रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बोर्ड के सदस्यों की संख्या अपर्याप्त थी। अतएव, यह विनिश्चय किया कि वर्ष 1982 के उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या को सात से बढ़ाकर दस कर दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था; अतएव; राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2001 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 992 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-11-2001

Dated Lucknow, April 30, 2001

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 2001 alongwith the Statement of Objects and Reasons thereto.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD (SECOND AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act no. 14 of 2001)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2001.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 3, 2001.

Substitution of section 4 of U. P. Act no. 5 of 1982

2. *For* section 4 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely: —

"4. (1) The Board shall consist of a chairman and ten members who shall be appointed by the State Government.

Composition of the Board

(2) A person shall not be qualified for appointment as chairman unless he,—

(*a*) is or has been a Vice-Chancellor of any University established by law; or

(*b*) is or has been in the opinion of the State Government an outstanding officer of the Administrative service not below the rank of secretary to the State Government or Director of Education, Uttar Pradesh.

(3) Of the Members,—

(*a*) two shall be persons who are educationist having made significant contribution in the field of education;

(*b*) two shall be persons who are or have been, in the opinion of the State Government, an out standing officer of the State Educations Service not below the rank of Additional Director;

(*c*) other shall be persons who,—

(*i*) have worked as a professor in any university established by law in Uttar Pradesh or as a Reader of any Degree College recognised by or affiliated to such university for a period of not less than ten years; or

(*ii*) have worked as a Principal of any institution recognised under the Intermediate Education Act, 1921 for a period of not less than ten years; or

(*iii*) are, in the opinion of the State Government, an eminent educationist having made valuable contribution in the field of education.

(4) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notified by the State Government."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 has been enacted to establish a Secondary Education Services Selection Board for the selection of teachers in institutions recognised under the Intermediate Education Act, 1921 The said Act of 1982 provided for the composition of the Board consisting of a chairman and seven members. In view of large number of vacancies of teachers, the number of members of the said Board was insufficient. It was, therefore, decided to amend the said Act of 1982 to increase the number of members of the said Selection Board from seven to ten.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Amendment) Ordinance, 2001 (U.P. Ordinance no. 7 of 2001) was promulgated by the Governor on March 3, 2001.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 22 सा० विधा०--(201)--2001--850 (मैक०)।